प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माह (अप्रैल,2022 से जुलाई, 2023 तक) के लिए वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन किये जाने हेतु धनराशि निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-90/2022/465/002-100-बी-2021, दिनांक-13 अप्रैल,2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056-जेलें के अन्तर्गत मतदेय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 91138.37 लाख एवं भारित मद में रू0 10.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 91148.37 लाख में से अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056--जेलें के अन्तर्गत वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु मतदेय एवं भारित मद में 04 माह (अप्रैल,2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि क्रमशः रू0 3,03,79,44,000/- (रूपये तीन अरब तीन करोड़ उन्यासी लाख चौवालीस हजार मात्र) एवं रू0 3,33,000/- (रूपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 3,03,82,77,000/- (रूपये तीन अरब तीन करोड़ बयासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। किन्तु बजट एलाटमेन्ट सिस्टम में भारित मद की धनराशि रू0 3,33,000/- की इन्ट्री न होने के कारण बजट एलाटमेन्ट में उक्त धनराशि दर्शित नहीं हुई।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056-जेलें के अन्तर्गत भारित मद में रू0 10.00 लाख में से अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056--जेलें के अन्तर्गत भारित मद में 04 माह(अप्रैल,2022 से जुलाई,2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि रू0 3,33,000/- (रूपया तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर बजट एलाटमेन्ट सिस्टम के माध्यम से रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक-13.04.2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 025 लेखा शीर्षक 2056000010300** मुख्य- - **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसम्बर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2021/बी-1-224/दस-2021-231/2022, दिनांक-29 मार्च, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-91/2022/582/22-4-2022/003-100-बी-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/2वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in